अनुलग्नक-अ

व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध हेतु दिशानिर्देश

1. **प्रस्तावना**

1.1 एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी) विभिन्न एजेंसियों जैसे कि पार्टियों / ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं / बोलिकर्ताओं से कारोबार करती है, जिनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे उच्चतम मानक की नेतिकता तथा अति उच्च स्तर की सत्यनिष्ठता, प्रतिबद्धता तथा सौंपे गये कार्य के प्रति निष्ठा का पालन करेंगे। ऐसी एजेंसियां जोकि निविदा प्रक्रिया एवं / और सौंपे गये कार्य के निष्पादन के दौरान धोखे, धोखाधड़ी या अन्य कदाचार करते हैं के साथ कारोबार करना एनएचपीसी के हित में नहीं है। एनएचपीसी गुणवत्ता से समझौता किये बिना परियोजनाओं के समयबद्ध तथा अवार्डित मूल्य में निष्पादन हेतु प्रतिबद्ध है।

1.2 चूंकि व्यापार व्यवहार को निलंबित / प्रतिबंधित करने से संबंधित एजेंसी से संबद्ध व्यापारिक हित प्रभावित होते हैं, यह आवश्यक है कि आदेश जारी किये जाने से पूर्व सुनवाई हेतु आवश्यक मौके प्रदान किये जायें तथा यदि कोई स्पष्टीकरण दिया गया है तौ मामले की तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आदेश जारी किये जाने से पूर्व उन पर विचार किया जाए।

2.0 कार्यक्षेत्र

2.1 यदि कोई एजेंसी किसी प्रकार के कदाचार, धोखाधड़ी या अनेतिक कार्य में लिप्त पाई जाती है अथवा वह गैर / खराब निष्पादन करती है तौ एनएचपीसी के पास उसे अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों की सूची (यदि कोई हो तौ) से निष्कासन अथवा उसके साथ व्यापार व्यवहार के निलंबन / प्रतिबंधित किए जाने का अधिकार होगा।

2.2 (i) अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों की सूची से निष्कासन; (ii) निलंबन करने एवं (iii) एजेंसियों के साथ व्यापार व्यवहार को प्रतिबंधित किये जाने, की प्रक्रिया इन दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई है।

2.3 ये दिशानिर्देश एनएचपीसी की सभी यूनिटों पर लागू होंगे।

2.4 ये दिशानिर्देश एनएचपीसी के संयुक्त उपक्रम, सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जब तक कि वे अभिहस्तांकिती, उत्तराधिकारी अथवा निष्पादक ना हों।

2.5 सत्यनिष्ठा संधि के तहत निलंबन / प्रतिबंध को छोड़कर, निलंबन / प्रतिबंध भावी प्रभाव के साथ यानि कि भविष्य के व्यापार व्यवहार पर लागू होगा

3.0 परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आपेक्षित ना हो:

i) **"एजेंसी / पार्टी / ठेकेदार / आपूर्तिकर्ता / बोलिकर्ता / वेंडर"** का मतलब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक संयुक्त उपक्रम, कंसोर्टीयम, हिन्दू संयुक्त परिवार, एक पंजीकृत अथवा अपंजीकृत फर्म, कोई व्यक्ति, सहकारी समिति अथवा एक किसी वाणिज्य, व्यापार अथवा उद्योग में संलिप्त लोगों का समूह अथवा संघ आदि। इन दिशानिर्देशों के संदर्भ में एजेंसी का अर्थ "पार्टी / ठेकेदार / बोलिकर्ता / वेंडर" से है।

ii) **"यूनिट"** का अर्थ कार्पोरेट कार्यालय, परियोजना / पावर स्टेशन / क्षेत्रीय कार्यालय / सम्पर्क कार्यालय एवं एनएचपीसी के अन्य कार्यालय।

iii) **"सक्षम प्राधिकारी"** एवं **"अपीलीय प्राधिकारी"** का अर्थ निम्नलिखित है:

अ) कार्पोरेट कार्यालय से अवार्ड किये गये / निविदा हेतु प्रक्रियाधीन कार्यों हेतु (अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / निदेशक मंडल के प्राधिकार क्षेत्र में आने वाले)

- सक्षम प्राधिकारी: अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
- अपीलीय प्राधिकारी: निदेशक मंडल

ब) कार्पोरेट कार्यालय/ परियोजनाओं / पावर स्टेशनों / क्षेत्रीय कार्यालयों / सम्पर्क कार्यालयों से अवार्ड किये गये / निविदा हेतु प्रक्रियाधीन कार्यों हेतु (निदेशक / कार्यपालक निदेशक के प्राधिकार क्षेत्र में आने वाले)

- सक्षम प्राधिकारी: संबंधित निदेशक / कार्यपालक निदेशक, जैसा कि मामला हो
- अपीलीय प्राधिकारी: अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / संबंधित निदेशक, जैसा भी मामला हो

स) कार्पोरेट कार्यालय /क्षेत्रीय कार्यालयों /परियोजनाओं /पावर स्टेशनों/सम्पर्क कार्यालयों से अवार्ड किए गए निविदा हेतु प्रक्रियाधीन/कार्यों हेतु (मुख्य महाप्रबंधक एवं उससे नीचे के प्राधिकार क्षेत्र में आने वाले)

कार्पोरेट कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालयों से अवार्ड किये गये / निविदा हेतु प्रक्रियाधीन कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी संबंधित विभाग के मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक होंगे, जैसा कि मामला हो

- अन्य लोकेशनों से अवार्ड किये गये / निविदा हेतु प्रक्रियाधीन कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी : संबंधित परियोजना प्रमुख, जोकि कम से कम महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी हों।
- अपीलीय प्राधिकारी: सक्षम प्राधिकारी से एक उच्च पदस्थ अधिकारी।

iv) **"जाँच समिति"** का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच हेतु नियुक्त समिति।

4.0 निलंबन / प्रतिबंध को प्रारंभ करना

किसी एजेंसी के साथ व्यापार व्यवहार के निलंबन / प्रतिबंध की शुरुआत संबंधित विभाग, जोकि बोलियां आमंत्रित करने हेतु जिम्मेवार है द्वारा / अभियंता प्रभारी के द्वारा संबंधित एजेंसी की ओर से अनियमितताओं अथवा कदाचार के पर्यवेक्षण के पश्चात की जाएगी। संबंधित विभाग के अलावा प्रत्येक इकाई का सतर्कता विभाग / कॉर्पोरेट कार्यालय का सतर्कता विभाग भी इस प्रकार की कार्यवाही की शुरुआत करने हेतु सक्षम होंगे।

5.0 व्यापार व्यवहार का निलंबन

5.1 यदि एनएचपीसी के साथ कारोबार कर रही किसी एजेंसी का आचरण जाँच के अधीन है तो सक्षम प्राधिकारी इस पर विचार कर सकते हैं कि आरोप (जाँच के अधीन) गंभीर प्रकृति के हैं तथा क्या जाँच लंबित रहने के दौरान एजेंसी के साथ व्यापार व्यवहार जारी रखना उचित होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि जाँच लंबित रहने के दौरान व्यापार व्यवहार जारी रखना हित में नहीं होगा, तो एजेंसी के साथ व्यापार व्यवहार को निलंबित किया जा सकता है। निलंबन अधिकतम छः माह की अवधी तक जारी रह सकता है तथा इसे एजेंसी एवं जाँच समिति को संप्रेषित किया जा सकता है। जाँच समिति यह सुनिश्चित कर सकती है कि उनकी जाँच एवं अंतिम आदेश की समस्त प्रक्रिया इस अवधी में पूर्ण हो जाये। यद्धपि यदि अन्वेषण छः माह में पूर्ण नहीं होते हैं तो अन्वेषण समिति, तीन माह के समय विस्तार हेतु, जिसमें समिति कार्यवाही को पूर्ण करेगी, प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगी

5.2 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / निदेशक मंडल / निदेशक के प्राधिकार के तहत आने वाले कार्यों में निलंबन का आदेश संपूर्ण एनएचपीसी में प्रभावी होगा, कार्यपालक निदेशक के प्राधिकार के तहत आने वाले कार्यों में निलंबन का आदेश संपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र में / निगम मुख्यालय में (यदि कार्य निगम मुख्यालय से अवार्ड किया गया है / निविदा प्रक्रियाधीन है) प्रभावी होगा। यदि कार्य परियोजना प्रमुख अथवा नीचे के प्राधिकार के तहत आता है तौ निलंबन परियोजना / पावर स्टेशन तथा संबद्ध संपर्क कार्यालयों / यूनिटों में प्रभावी होगा तथा यदि निगम मुख्यालय में कार्य मुख्य महाप्रबंधक एवं नीचे के प्राधिकार के तहत आता है तौ निलंबन निगम मुख्यालय में प्रभावी होगा।

5.3 यदि संबंधित एजेंसी निलंबन के विस्तृत कारणों को जानना चाहती है, तौ उस एजेंसी को सूचित किया जा सकता है कि उसका आचरण जाँच के अधीन है। इस स्तर पर एजेंसी के साथ पत्राचार अथवा तर्क करना आवश्यक नहीं है।

5.4 एजेंसी को निलंबन के आदेश जारी करने से पहले किसी प्रकार कि कारण बताओ सूचना अथवा व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।

5.5 व्यापार व्यवहार पर निलंबन की सूचना हेतु प्रारूप परिशिष्ठ-I पर दिया गया है।

6.0 व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध आरंभ करने हेतु आधार

6.1 सुरक्षा विचारों तथा एजेंसी की एनएचपीसी के प्रति निष्ठा के चलते यदि ऐसा लगा है;

6.2 यदि एजेंसी का निदेशक / मालिक, फर्म का मालिक अथवा भागीदार पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी अदालत द्वारा सरकारी अथवा अन्य किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ अपने व्यापार व्यवहार के संबंध में नैतिक मर्यादा से जुड़े मामलों हेतु अपराधी ठहराया गया हो;

6.3 यदि एजेंसी नें भ्रष्ट, धोखाधड़ी, कपटपूर्ण अथवा बलपूर्वक व्यवहार का सहारा लिया हो जिसमें तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण ओर संविदा में दिये गये सत्यनिष्ठा समझौते के किसी प्रावधान का उल्लंघन शामिल है।

6.4 यदि एजेंसी संविदा के अंतर्गत कार्य की स्वीकृति / कार्य निष्पादन के लिये एनएचपीसी अथवा उसके पदाधिकारी को धमकाती है / मजबूर करती है अथवा उस पर अनुचित बाहरी दबाव डालती है;

6.5 यदि एजेंसी एनएचपीसी के परिसर अथवा सुविधाओं का दुरुपयोग करती है, भूमि, जल-संसाधन, जंगलों / वृक्षों सहित एनएचपीसी की संपत्तियों पर बलपूर्वक कब्जा करती है अथवा क्षति पहुंचाती है या दस्तावेजों / रिकार्ड आदि के साथ छेड़-छाड़ करती है आदि।

6.6 यदि एजेंसी संविदा के अधीन आवश्यक दायित्वों को पूरा नहीं करती तथा संविदा के

निबंधनों व शर्तों का उल्लंघन करती है जिसका संविदा की निरंतरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

6.7 यदि पिछले पाँच वर्षों के दौरान, संविदा के खराब निष्पादन के कारण, एनएचपीसी द्वारा एजेंसी को अवार्ड किये गये कार्य को टर्मिनेट किया गया है।

6.8 यदि केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा केन्द्र सरकार की कोई अन्य जाँच एजेंसी, कंपनी (एनएचपीसी) से जुड़े किसी मामले के संबंध में अथवा अन्यथा, जिसमें एजेंसी के अनुचित आचरण के कारण इनकी जाँच की जा रही हो के संबंध में इस प्रकार की संस्तुति करती है;

6.9 किसी भी अन्य आधार, जिसके कारण एजेंसी के साथ व्यापार व्यवहार सार्वजनिक हित में न हो।

6.10 यदि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विद्युत मंत्रालय के अधीन किसी अन्य प्राधिकरण नें उस एजेंसी के साथ कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा रखा हो तथा एनएचपीसी को उसकी सूचना दी गई हो या विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर ऐसी सूचना उपलब्ध हो, तौ ऐसी एजेंसियों के साथ, सत्यनिष्ठा समझौता के तहत आगे की जाँच किये बिना भविष्य के व्यापार व्यवहार पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

(टिप्पणी : उपरोक्त दिये गये उदाहरण केवल व्याख्यात्मक हैं तथा पूर्ण नहीं हैं। सक्षम प्राधिकारी व्यापार व्यवहार को किसी अच्छे एवं पर्याप्त कारण के तहत प्रतिबंधित करने का निर्णय ले सकते हैं।)

7.0 व्यापार व्यवहार को प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया

7. 1 व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक जाँच समिति का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य अभियांत्रिकी / इंडेंटिंग विभाग (संयोजक), वित्त, विधि तथा संविदा विभाग से होंगे। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक / निदेशक मंडल के प्राधिकार के तहत आने वाले कार्यों हेतु समिति के सदस्यों का स्तर मुख्य महाप्रबंधक व उससे ऊपर, निदेशक / कार्यपालक निदेशक के प्राधिकार के तहत आने वाले कार्यों

हेतु समिति के सदस्यों का स्तर महाप्रबंधक व उससे ऊपर तथा मुख्य महाप्रबंधक व नीचे के प्राधिकार के तहत आने वाले कार्यों हेतु समिति के सदस्यों का स्तर उप महाप्रबंधक / वरिष्ठ प्रबंधक जिसमें कम से कम एक सदस्य महाप्रबंधक के स्तर का होगा।

7.2 व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध का आदेश संपूर्ण एनएचपीसी पर प्रभावी होगा। व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध की अवधी के दौरान एजेंसी के साथ कोई व्यापार व्यवहार नहीं होगा।

7.3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक इकाई में नियुक्त की जाने वाली जाँच समिति के अनुच्छेद 3(iii) के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य भी होंगे:

अ) बोली आमंत्रित करने हेतु उत्तरदायी विभाग की रिपोर्ट का अध्ययन करना ओर यह निर्णय लेना कि प्रथम दृष्ट्या प्रतिबंध हेतु कोई मामला बनता है अथवा नहीं, यदि नहीं तौ मामले को वापस सक्षम प्राधिकारी को लौटा देना।

ब) धारा 7.4 के अनुसार, संबंधित विभाग द्वारा एजेंसी को "कारण बताओ नोटिस" (विधि विभाग द्वारा पुनर्निरीक्षित किये जाने के बाद) जारी किये जाने की सिफारिश करना।

स) कारण बताओ नोटिस के उत्तर की जाँच करना और यदि आवश्यक हो तौ एजेंसी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आमंत्रित करना।

द) मामले की परिस्थितियों से स्थापित, एजेंसी के कार्य / त्रुटियों, इरादों आदि के कारण एनएचपीसी के निहितार्थ को ध्यान में रखते हुये, प्रतिबंध अवधी के साथ, प्रतिबंध लगाने अथवा अन्यथा हेतु सक्षम प्राधिकारी को अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करना।

7.4 कारण बताओ नोटिस

एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करने का प्रस्ताव अनुमोदित हो जाता है तौ सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दोषी एजेंसी को उक्त उद्देश्य के लिये कारण बताओ नोटिस (इन दिशा निर्देशों की **परिशिष्ट-II** पर दिये गये प्रपत्र के अनुसार) जारी किया जाएगा। एजेंसी को नोटिस जारी किये जाने के 15 दिनों के भीतर इस नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त एजेंसी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मौखिक सुनवाई, यदि वह इच्छुक है, के

माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत करने के लिये एक अवसर दिया जाएगा और मौखिक सुनवाई की तारीख कारण बताओ नोटिस में अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

कारण बताओ नोटिस जारी करने का उद्देश्य केवल यह है कि कोई कार्यवाही करने से पहले संबंधित एजेंसी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर मिल जाये। वह आधार, जिन पर कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है एजेंसी के समक्ष प्रकट किये जाएँगे तथा इस संबंध में एजेंसी से अभ्यावेदन मंगाया जाएगा ओर एजेंसी के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, आदेश पारित किये जा सकते हैं। अंतिम आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को इस आदेश से संतुष्ट होना चाहिये।

यदि एजेंसी एनएचपीसी के पास उपलब्ध किसी प्रासंगिक दस्तावेज के निरीक्षण हेतु अनुरोध करती है तौ दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये आवश्यक सुविधा प्रदान की जा सकती है।

केवल एजेंसी के नियमित प्राधिकृत कर्मचारियों को ही मौखिक सुनवाई के दौरान एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाएगी ओर उनकी और से किसी अन्य बहय व्यक्ति को एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

समिति, एजेंसी द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस के उत्तर तथा मौखिक सुनवाई में दी गई उसकी प्रस्तुतियाँ, यदि कोई हो तौ, को सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय प्राप्त करने हेतु संसाधित करेगी।

यदि एजेंसी से निर्धारित समय के भीतर कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तौ एजेंसी को 10 दिनों का अतिरिक्त समय देते हुये अनुस्मारक दिया जाएगा। यदि एजेंसी से इसके बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तौ संबंधित एजेंसी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही शुरू की जाएगी।

7.5 सकारण आदेश

सक्षम प्राधिकारी अथवा उक्त उद्देश्य हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने हेतु सकारण आदेश (रिजण्ड आर्डर) जारी किया जाएगा।

कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा उत्तर के संबंध में दिये गये अभिवेदन, यदि कोई है तौ, के उत्तर पर भी विचार करने पश्चात व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में लिये गये सकारण आदेश के साथ संबंधित एजेंसी को सूचित किया जाएगा। एजेंसी को

भेजे गये पत्राचार में इस तथ्य का भी अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाएगा कि उसके अभ्यावेदन पर विचार किया गया है। इसके साथ ही एजेंसी से किये गये अंतिम पत्राचार में कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने के संबंध में भी उल्लेख किया जाएगा। व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने कि सूचना का मसौदा **परिशिष्ट-III** में दिया गया है।

7.6 प्रतिबंध की अवधी

यदि सत्यनिष्ठा समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करने अथवा भ्रष्ट या कपटपूर्ण व्यवहार के कारण कार्यवाही की गई है तौ सक्षम प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों से स्थापित एजेंसी के कार्य / त्रुटियों, इरादों आदि के कारण एनएचपीसी के निहितार्थ को ध्यान में रखते हुये मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये मामले-मामले के आधार पर प्रतिबंध की अवधी निर्धारित करेंगे। प्रतिबंध की अवधी छः माह से कम व दो वर्षों से अधिक नहीं होगी तथा यदि खराब निष्पादन के कारण संविदा समाप्त की गई है तौ प्रतिबंध की अवधी 5 वर्षो की होगी। संयुक्त उद्यम / कंसोर्टीयम को अवार्ड की गई संविदाओं के मामलों में, संयुक्त उद्यम के किसी संघटक को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी, बशर्ते, उस निविदा प्रक्रिया, जिसमें संयुक्त उद्यम को प्रतिबंधित किया गया है को इस संघटक के उत्तरदायित्व अथवा भूमिका के कारण प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। उस स्थिति, जिसमें संयुक्त उद्यम, जिसे प्रतिबंधित किया गया है, नें अपने पृथक-पृथक भागीदारों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को अलग - अलग नहीं दर्शाया है, भागीदार को बोली प्रक्रिया में अनुमति केवल तभी होगी जब संयुक्त उदयम में उसकी भागीदारी 35% से कम हो।

यदि निविदा प्रतिस्पर्धा में किसी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनायें / दस्तावेज मिथ्या / जाली पाई जाती हें तौ उस स्थिति में एनएचपीसी, बिना किसी पूर्वागृह अधिकार अथवा प्रतिकार के, जो इसके अधिकार क्षेत्र में हो, इन सूचनाओं / दस्तावेजों की प्रमाणिकता को स्थापित करने के लिये इनके भौतिक मूल्यांकन पर हुये व्यय को उस एजेंसी से वसूल करेगी। यदि एजेंसी ऐसी प्रतिपूर्ति करने से इंकार करती है तौ उसके विरुद्ध लगाए गये प्रतिबंध की अवधी एक वर्ष के लिये बढ़ा दी जाएगी।

7.7 प्रतिबंध का प्रभाव

जब तक कि सक्षम प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों अन्यथा जोकि संविदा संबंधी एवं विधिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुये उत्पन्न हो सकते हें, को ध्यान में रखते हुये

निर्णय नहीं कर लेते, जहाँ तक संभव हो, वर्तमान में एजेंसी के साथ जारी संविदायें जारी रहेंगी। यदि मौजूदा संविदाओं को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तौ कार्य के लिये जारी अनुभव प्रमाण पत्र में व्यापार व्यवहार के निलंबन / प्रतिबंध के साथ साथ ठेकेदार की त्रुटि का भी उल्लेख किया जाएगा।

एजेंसी (व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध का आदेश जारी होने के पश्चात) को किसी भावी निविदा पृच्छा में भाग लेने कि अनुमति नहीं होगी और यदि एजेंसी नें अकेले अथवा संयुक्त उद्यम के घटक के तौर पर पहले ही किसी निविदा प्रक्रिया मे भाग ले चुकी है तथा उसकी मूल्य बोलियां नहीं खुली हें तौ उसकी तकनीकी-वाणिज्जियक बोली अस्वीकार कर दी जाएगी एवं मूल्य बोली को बिना खोले ही वापस कर दिया जाएगा। तथापि जहाँ प्रतिबंध का आदेश जारी होने से पूर्व मूल्य बोलियां खोली जा चुकीं हें एजेंसी की बोलियों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निविदा प्रक्रिया जारी रहेगी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों अन्यथा संविदिक, विधिक मुद्दे जोकि बाद में उत्पन्न हो सकते हें को ध्यान में रखते हुये निर्णय नहीं कर लेते। यद्धपि, सत्यनिष्ठा समझौते के प्रावधानों में चूक के कारण एजेंसी के निलंबन / प्रतिबंध किये जाने की स्थिति में यदि एजेंसी न्यूनतम बोलिकर्ता आती है तौ निविदा प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी एवं नई निविदायें आमंत्रित की जाएँगी।

निलंबन / प्रतिबंध की अवधि के दौरान यदि यह पाया जाता है कि एजेंसी नें निविदा पृच्छा में किसी और नाम से भाग लिया है तो ऐसी एजेंसी को तुरंत प्रभाव से निविदा / संविदा से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तथा उसकी बोली प्रतिभूति / निष्पादन प्रतिभूति को जप्त कर लिया जाएगा। यदि कोई भुगतान किया गया है तौ उसे भी वसूल कर लिया जाएगा।

निलंबन / प्रतिबंध आदेश के पश्चात, निलंबित / प्रतिबंधित एजेंसी को उप-विक्रेता / उप-ठेकेदार के रूप में निविदाओं में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यदि निलंबित / प्रतिबंधित एजेंसी ऐसे उपकरण / पुर्जों / सेवा हेतु किसी संविदा के तहत एक अनुमोदित उप-विक्रेता है तौ मुख्य ठेकेदार को निलंबन / प्रतिबंध कि तारीख के पश्चात उप-विक्रेता / उप-ठेकेदार को कार्य आदेश / क्रय आदेश / संविदा जारी करने की अनुमति नहीं होगी चाहे पूर्व में पार्टी का नाम उप-विक्रेता / उप-ठेकेदार के रूप में अनुमोदित हो।

यदि एजेंसी द्वारा उपकरण की आपूर्ति कर दी गई है तौ पैकेजों से संबंधित एजेंसियों, जिनके लिए उन्हें प्रतिबंधित किया गया है से कल पुर्जों के प्रापण तथा उन्हें वार्षिक

अनुरक्षण (एएमसी)/ओ&एम / मरम्मत संबंधी कार्य अवार्ड करने पर कोई रोक नहीं होगी।

व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध, प्रतिबंधित एजेंसी की सहायक कंपनी पर लागू नहीं होगा बशर्ते सहायक कंपनी नें प्रतिबंधित एजेंसी के सामर्थ्य पर भाग न लिया हो। तथापि, एक उप-ठेकेदार के द्वारा त्रुटि के मामले में, प्रतिबंध, उप ठेकेदार के साथ साथ संयुक्त उपक्रम अथवा एकल बोलीकर्ता, जैसा भी मामला हो, के मुख्य सांझीदार पर भी लागू होगा

7.8 एनएचपीसी वेब साइट पर प्रकाशन

संबंधित यूनिट प्रतिबंधित एजेंसी(यों) के नाम, विवरण, प्रतिबंध का कारण एवं प्रतिबंध की अवधी सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग को एनएचपीसी वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित करेंगी।

8.0 सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील

एजेंसी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यापार व्यवहार पर लगाए गये प्रतिबंध के निर्णय के विरुद्ध अपील-प्राधिकारी से अनुरोध कर सकती है। ऐसी अपील व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध के आदेश की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर की जाएगी। अपीलीय प्राधिकारी अपील पर विचार करेंगे और आश्वस्त होने पर मामले की जाँच के लिये एक समिति गठित करेंगे, यदि आश्वस्त हों तौ जाँच हेतु दूसरी समिति का गठन कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा गठित समिति पिछ्ली समिति की जाँच रिपोर्ट तथा एजेंसी के द्वारा अपील में दिये गये उत्तर का अध्ययन करेगी तथा यदि एजेंसी द्वारा अनुरोध किया जाता है तौ उसे व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलवाएगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त अनुच्छेद 7.5 के अनुसार उपयुक्त सकारण आदेश जारी किया जाएगा जोकि एजेंसी के साथ साथ सक्षम प्राधिकारी (इन दिशानिर्देशों के साथ लगे **परिशिष्ट-IV** पर दिये गये मसौदे के अनुसार) को भी प्रेषित किये जाएँगे।

9.0 प्रतिबंधित ऐजेंसियों जिनके साथ व्यापार व्यवहार प्रतिबंधित किया गया है के नाम का प्रसारण

संबंधित प्रतिबंधित एजेंसी का नाम विद्युत मंत्रालय तथा इस क्षेत्र के अन्य सार्वजनिक उपक्रम और एनएचपीसी की सभी यूनिटों के साथ संझा किया जाएगा।

इस नीति के प्रावधान पूर्व में इस उद्देश्य हेतु जारी किये गये सभी दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को अधिक्रमित करते हें

(नोट: व्यापार व्यवहार को प्रतिबंधित करने संबंधी इन दिशानिर्देशों के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में लिखित शब्दों के बीच किसी प्रकार के अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा)

परिशिष्ट -I

(व्यवसाय व्यवहार के निलंबन की सूचना के लिए प्रारूप)

पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट/ कूरियर द्वारा

संख्या .... तारीख....................

सेवा में

मैसर्स ....

ध्यानाकर्षण : श्री ....

विषय: व्यवसाय व्यवहार के निलंबन की सूचना

महोदय,

जबकि _______ मूल्य की राशि का ________ का कार्य आपकी फर्म को लेटर ऑफ अवार्ड संख्या ______ दिनांक ______ द्वारा दिया गया था अथवा एनएचपीसी की दिनांक _______ की एनआईटी (ई-टेंडर/ प्रत्यक्ष टेंडर) संख्या ________ के जवाब में आपने अपनी बोली जमा कर दी है । (जो भी लागू न हो उसे काट दें)

जबकि निम्नलिखित के संबंध में आपकी फर्म का आचरण जांच के दायरे में है:

डिफ़ॉल्ट का संक्षिप्त विवरण
"जबकि सक्षम प्राधिकारी ने प्रत्यक्षत: आरोपों (जांच के अधीन) को गंभीर प्रकृति का माना है और लंबित जांच का फैसला किया है, आपकी फर्म के साथ व्यापार जारी रखना निगम के हित में नहीं है ।
इस आदेश के निम्नलिखित प्रभाव होंगे :

(i) एनएचपीसी के क्षेत्रीय/ परियोजना/ इकाई/ वाइड के साथ आपकी फर्म के आगामी व्यवसाय व्यवहार निलंबित हैं । निलंबन का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और छह महीने की अवधि के लिए अथवा जांच पूरी होने तक चालू रहेगा और अंतिम आदेश की पूरी प्रक्रिया ऐसी अवधि के अंदर खत्म हो जाएगी । हालांकि, यदि जांच छह महीने के समय में पूरी नहीं होती है, तो सक्षम प्राधिकारी निलंबन की अवधि बढ़ा सकते हैं ।

(ii) निलंबन की अवधि के दौरान, आपकी फर्म के साथ कोई भी व्यवसाय व्यवहार नहीं किया जाएगा । आपकी फर्म को कोई पूछताछ/ बोली/ निविदा जारी नहीं की जाएगी और न ही आपकी फर्म द्वारा प्रस्तुत बोलियों पर विचार किया जाएगा ।

(iii) उन मामलों में जहां निविदाएं आपको पहले ही जारी की जा चुकी हैं और मूल्य बोलियां खोली जानी बाकी हैं, आपके द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोली नहीं खोली जाएगी और बैंक गारंटी/ ईएमडी, यदि कोई हो, तो आपको वापस कर दी जाएगी ।

(iv) उन मामलों में जहां निविदाएं आपको पहले ही जारी की जा चुकी हैं और मूल्य बोली पहले ही खोली जा चुकी हैं, निविदा प्रक्रिया जारी रहेगी ।

(v) आपके और एनएचपीसी के बीच चल रहे अनुबंधों के मामले में, (उन मामलों सहित जिनमें निलंबन आदेश जारी करने से पहले ही अनुबंध किया जा चुका है) आपको अनुबंध की शर्तों के अनुसार क्रियान्वयन और निष्पादन जारी रखना होगा ।

(vi) (क) यदि फर्म संयुक्त उद्यम है तो, निम्नलिखित भी लागू होंगे :

i) **संयुक्त उद्यम में एजेंसी की प्रतिभागिता**

ऐसी निविदाएं जिनमें आपकी फर्म को किसी भी बोलीदाता द्वारा संयुक्त उद्यम साझेदार के रूप में प्रस्तावित किया गया है और आपकी फर्म के निलंबन से पहले मूल्य बोलियां खोल दी गई हो, ऐसे मामलों में, इस आधार पर निविदा प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा और एजेंसी को ऐसी बोलियों के लिए संयुक्त उद्यम में साझेदार के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जाएगी । तथापि, जहां एजेंसी के निलंबन/ प्रतिबंध से पहले मूल्य बोलियां नहीं खोली गई हैं तो ऐसे मामलों में एजेंसी को संयुक्त उद्यम में साझेदार के रूप में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

ii) **संयुक्त उद्यम पर प्रतिबंध:**

जैसा कि संयुक्त उद्यम प्रतिबंधित है, आपकी फर्म बोली प्रक्रिया में संयुक्त उद्यम के साझीदार (साझीदारों) के रूप में बोली लगाने का इरादा रखती है तो उसे बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी यदि उसे निविदा प्रक्रिया में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया गया हो, जिसके लिए पूर्व में संयुक्त उद्यम को प्रतिबंधित किया गया है । यदि जो संयुक्त उद्यम प्रतिबंधित किया गया है, वह व्यक्तिगत साझेदार की भूमिका और उत्तरदायित्व को नहीं दर्शाता है, तो प्रतिबंधित संयुक्त उद्यम के साझीदार को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी यदि इसकी साझेदारी की हिस्सेदारी 35% से कम है ।

(ख) आपकी फर्म को निविदाओं में उप-विक्रेता/ उप-ठेकेदार के रूप में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

इसके अलावा, यदि आपकी फर्म ऐसे उपकरण/ घटक/ सेवा के लिए किसी अनुबंध के तहत अनुमोदित उप-विक्रेता है, तो मुख्य ठेकेदार को निलंबन/ प्रतिबंध की तिथि के बाद यह

अनुमति नही दी जाएगी कि वह आपकी एजेंसी को उप-विक्रेता/ उप-ठेकेदार के रूप में कार्य आदेश/ खरीद आदेश/ अनुबंध जारी करें चाहे पहले पार्टी के नाम को उप-विक्रेता/ उप-ठेकेदार के रूप में अनुमोदित कर दिया गया हो। ।

(ग) उन पैकेजों के संबंध में, जिसके लिए उन्हें प्रतिबंधित किया गया है, एजेंसी को वार्षिक अनुरक्षण (एएमसी)/ ओ एंड एम/ मरम्मत कार्यों के लिए अनुबंध देने और पुर्जों की खरीद पर कोई रोक नहीं होगी, बशर्ते कि उपकरण की आपूर्ति ऐसी एजेंसी द्वारा की गई हो ।

(घ) प्रतिबंधित एजेंसी की सहायक कंपनी पर व्यवसाय व्यवहार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा, बशर्ते सहायक कंपनी ने प्रतिबंधित एजेंसी की ओर से भाग न लिया हो ।

निलंबन/ प्रतिबंध की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर, आप आदेश के निरस्तीकरण के अनुरोध के साथ-साथ कदाचार जो निलंबन का कारण बने थे, की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए, आप ________ (संबंधित प्रापण विभाग को दर्शाएं) से संपर्क कर सकते हैं ।

भवदीय,

एनएचपीसी के लिए और की ओर से

नोट: जो भी लागू न हो, उसे काट दें

परिशिष्ट -II

(कारण बताओ नोटिस का प्रारूप)

पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट/ कूरियर द्वारा

संख्या ….……… दिनांक ……………

सेवा में,

मैसर्स __________

………………………

ध्यानाकर्षण : श्री ……………… ..

<u>विषय: कारण बताओ नोटिस</u>

संदर्भ :

महोदय,

आपसे एतद्द्वारा अपेक्षा की जाती है कि आज की तारीख से 15 दिनों के अंदर लिखित कारण बताया जाए कि आपकी फर्म के साथ व्यावसायिक व्यवहार प्रतिबंधित क्यों नहीं करना चाहिए/ आपकी फर्म को प्रतिबंध सूची में क्यों न रखा जाए (जैसा भी मामला हो) और क्यों न निम्नलिखित कारणों से एनएचपीसी के साथ किसी भी अनुबंध करने से वंचित कर देना चाहिए:

(कारण बताएं)

आपके उत्तर (यदि कोई हो) कागजातों और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ होने चाहिए जिन पर आप अपने उत्तर के समर्थन में भरोसा करना चाहते हैं। यदि आप निर्धारित समय तक और उपर्युक्त तरीकों के अनुसार, इस कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने में विफल होते हैं, यह माना जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और तदनुसार हम आगामी कार्रवाई करेंगे ।

कोई भी निर्णय लेने से पहले आपके उत्तर, यदि कोई हो, और उसके समर्थन में दिए गए कागजातों/ दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया जाएगा ।

भवदीय ,

एनएचपीसी के लिए और ओर से

परिशिष्ट-III

(व्यवसाय व्यवहार को प्रतिबंधित करने की सूचना के लिए प्रारूप)

पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट/ कूरियर द्वारा

संख्या .... तारीख....................

सेवा में

मैसर्स ....

ध्यानाकर्षण : श्री ....

विषय: व्यवसाय व्यवहार के निलंबन की सूचना

महोदय,

जबकि _______ मूल्य की राशि का ________ का कार्य आपकी फर्म को लेटर ऑफ अवार्ड संख्या ______ दिनांक ______ द्वारा दिया गया था अथवा एनएचपीसी की दिनांक _______ की एनआईटी (ई-टेंडर/ प्रत्यक्ष टेंडर) संख्या ________ के जवाब में आपने अपनी बोली जमा कर दी है । (जो भी लागू न हो उसे काट दें)

जबकि सक्षम प्राधिकारी ने निम्न वर्णित प्रत्यक्षत: आरोपों को गंभीर प्रकृति का माना है और जांच करने का निर्णय लिया है ।

"डिफ़ॉल्ट का संक्षिप्त उल्लेख किया जाए"
जबकि आपको दिनांक ______ के संख्या ________ द्वारा कारण बताओ नोटिस की जारी किया गया था । (जबकि आपको दिए गए अवसर के बावजूद, आपने नोटिस में उल्लिखित समय अवधि अथवा वर्धित अवधि, यदि कोई हो, के अंदर कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है ।) जबकि आपने दिनांक ______ के पत्र क्रमांक संख्या ________ द्वारा कागजातों के साथ अपना उत्तर प्रस्तुत किया है और दिनांक _____ की व्यक्तिगत सुनवाई (यदि कोई हो) में अपने मामले को प्रस्तुत किया है । कारण बताओ नोटिस में लगाए गए आरोपों, कारण बताओ नोटिस के दिए गए आपके उत्तर और उसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए कागजात/ दस्तावेजी साक्ष्यों और दिनांक _____ की व्यक्तिगत सुनवाई (यदि कोई हो) पर विचार करने के बाद, आपके साथ व्यवसाय व्यवहार को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है और आपको एतद्द्वारा एनएचपीसी के साथ अनुबंध करने से विवर्जित किया जाता है ।

व्यावसायिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने की सूचना को स्पीकिंग ऑर्डर (सकारण आदेश) बनाने के लिए, कारण बताओ नोटिस को जारी करने और कारण बताओ नोटिस के प्रतियुत्तर में दिए गए प्रतिवेदन पर किए गए विचार, व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर, यदि कोई हो, को सकारण आदेश के साथ संबंधित एजेंसी

को सूचित करना चाहिए । प्रतिबंध के आदेश में एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय लेने के विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ कारण भी दिए जाने चाहिए । साथ ही एजेंसी को दी जाने वाली सूचना में इस इस तथ्य का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए कि यदि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अथवा व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है । उपर्युक्त आदेश में सत्यनिष्ठा संधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन को ध्यान में रखने वाले आधारों का, व्यावसायिक व्यवहार के प्रतिबंध के दिशानिर्देशों में उल्लिखित किसी आधार का, धोखाधड़ी या किसी भी अनैतिक प्रथाओं के तहत एजेंसी द्वारा चूक और/ अथवा गंभीर निहितार्थ वाले निविदा/ अनुबंध के निबंधन के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन का उल्लेख होना चाहिए ।

इस आदेश के निम्नलिखित प्रभाव होंगे :

(i) आपकी फर्म के साथ आगामी व्यवसाय व्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित हैं । प्रतिबंधन का आदेश ____ माह/वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा । सक्षम प्राधिकारी प्रतिबंधन की अवधि बढ़ा सकते हैं ।

(ii) प्रतिबंधन की अवधि के दौरान, आपकी फर्म के साथ कोई भी व्यवसाय व्यवहार नहीं किया जाएगा । आपकी फर्म को कोई पूछताछ/ बोली/ निविदा जारी नहीं की जाएगी और न ही आपकी फर्म द्वारा प्रस्तुत बोलियों पर विचार किया जाएगा ।

(iii) उन मामलों में जहां निविदाएं आपको पहले ही जारी की जा चुकी हैं और मूल्य बोलियां खोली जानी बाकी हैं, आपके द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोली नहीं खोली जाएगी और बैंक गारंटी/ ईएमडी, यदि कोई हो, तो आपको वापस कर दी जाएगी ।

(iv) उन मामलों में जहां निविदाएं आपको पहले ही जारी की जा चुकी हैं और मूल्य बोली पहले ही खोली जा चुकी हैं, निविदा प्रक्रिया जारी रहेगी ।

(v) आपके और एनएचपीसी के बीच चल रहे अनुबंधों के मामले में, (उन मामलों सहित जिनमें प्रतिबंधन आदेश जारी करने से पहले ही निविदा अवार्ड किया जा चुका है) आपको निविदा की शर्तों के अनुसार क्रियान्वयन और निष्पादन जारी रखना होगा ।

(vi) (क) फर्म संयुक्त उद्यम के मामले में, निम्नलिखित भी लागू होंगे :

i) **संयुक्त उद्यम में एजेंसी की प्रतिभागिता**

ऐसी निविदाएं जिनमें आपकी फर्म को किसी भी बोलीदाता द्वारा संयुक्त उद्यम साझेदार के रूप में प्रस्तावित किया गया है और आपकी फर्म को प्रतिबंधित करने से पहले मूल्य बोलियां खोल दी गई हो, ऐसे मामलों में, इस आधार पर निविदा प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जाएगा और एजेंसी को ऐसी बोलियों के लिए संयुक्त उद्यम में साझेदार के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जाएगी । तथापि, जहां एजेंसी के प्रतिबंधन से पहले मूल्य बोलियां

नहीं खोली गई हैं तो ऐसे मामलों में एजेंसी को संयुक्त उद्यम में साझेदार के रूप में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

ii) **संयुक्त उद्यम पर प्रतिबंध:**
जैसा कि संयुक्त उद्यम प्रतिबंधित है, आपकी फर्म बोली प्रक्रिया में संयुक्त उद्यम के साझीदार (साझीदारों) के रूप में बोली लगाने का इरादा रखती है तो उसे बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी यदि उसे निविदा प्रक्रिया में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया गया हो, जिसके लिए पूर्व में संयुक्त उद्यम को प्रतिबंधित किया गया है । यदि जो संयुक्त उद्यम प्रतिबंधित किया गया है, वह व्यक्तिगत साझेदार की भूमिका और उत्तरदायित्व को नहीं दर्शाता है, तो प्रतिबंधित संयुक्त उद्यम के साझीदार को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी यदि इसकी साझेदारी की हिस्सेदारी 35% से कम है ।

(ख) आपकी फर्म को निविदाओं में उप-विक्रेता/ उप-ठेकेदार के रूप में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

इसके अलावा, यदि आपकी फर्म ऐसे उपकरण/ घटक/ सेवा के लिए किसी अनुबंध के तहत अनुमोदित उप-विक्रेता है, तो मुख्य ठेकेदार को प्रतिबंधन की तिथि के बाद यह अनुमति नही दी जाएगी कि वह आपकी एजेंसी को उप-विक्रेता/ उप-ठेकेदार के रूप में कार्य आदेश/ खरीद आदेश/ अनुबंध जारी करें चाहे पहले पार्टी के नाम को उप-विक्रेता/ उप-ठेकेदार के रूप में अनुमोदित कर दिया गया हो। ।

(ग) उन पैकेजों के संबंध में, जिसके लिए उन्हें प्रतिबंधित किया गया है, एजेंसी को वार्षिक अनुरक्षण (एएमसी)/ ओ एंड एम/ मरम्मत कार्यों के लिए अनुबंध देने और पुर्जों की खरीद पर कोई रोक नहीं होगी, बशर्ते कि उपकरण की आपूर्ति ऐसी एजेंसी द्वारा की गई हो ।

(घ) प्रतिबंधित एजेंसी की सहायक कंपनी पर व्यवसाय व्यवहार का प्रतिबंध लागू नहीं होगा, बशर्ते सहायक कंपनी ने प्रतिबंधित एजेंसी की ओर से भाग न लिया हो । तथापि, उप-ठेकेदार द्वारा किए गए डिफॉल्ट के मामले में, उप-ठेकेदार के साथ-साथ संबंधित संयुक्त उद्यम के मूल साझेदार अथवा एकमात्र बोलीदाता, जैसा भी मामला हो, पर प्रतिबंध लागू रहेगा ।

प्रतिबंध की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर, आप आदेश के निरस्तीकरण के अनुरोध के साथ-साथ कदाचार जो प्रतिबंधित करने का कारण बने थे, की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आपके द्वारा उठाए गए

कदमों का उल्लेख करते हुए, आप ________ (संबंधित प्रापण विभाग को दर्शाएं) से संपर्क कर सकते हैं ।

इसके अलावा, यदि आप इस आदेश के खिलाफ अपील करना चाहते हैं, तो आप इस आदेश के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित अपील प्राधिकारी के यहां अपील कर सकते हैं:

अपील प्राधिकारी : _______________

पदनाम : _____________

पता : _____________

दूरभाष संख्या ___________

ईमेल : _____________

भवदीय,

एनएचपीसी के लिए और की ओर से

नोट: जो भी लागू न हो, उसे काट दें

परिशिष्ट-IV

(निलंबन/ प्रतिबंध आदेश पर अपीलीय निर्णय को सूचित करने के लिए प्रारूप)

पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट/ कूरियर द्वारा

संख्या .... तारीख....................

सेवा में

मैसर्स ....

ध्यानाकर्षण : श्री ....

विषय: व्यावसायिक व्यवहार के निलंबन/प्रतिबंध - अपील प्राधिकारी के निर्णय की सूचना

संदर्भ: 1. दिनांक _______ के आदेश जिसके माध्यम से मैसर्स .... को एनएचपीसी की निलंबन/ प्रतिबंध सूची में रखा गया था ।

2. आपकी दिनाक .... की अपील संदर्भ संख्या ....

महोदय,

इसमें दिनांक _____ के आदेश का, जिसके द्वारा निलंबन/ प्रतिबंध की सूची में रखा गया था है और उस संबंध में आपकी दिनांक ______ की अपील याचिका संख्या ______ का, संदर्भ दिया गया है ।

मूल प्राधिकरण के निष्कर्षों और आपके द्वारा अपनी अपील में दी गई प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड में दर्ज कागजात/ दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, अंततः यह निर्णय लिया गया है कि:

* मूल प्राधिकरण के आदेश में कोई अदृढता नहीं है, और आरोपों सिद्ध होते हैं और आदेश की तिथि से .... वर्ष/ माह की निलंबन/ प्रतिबंध की अवधि का मूल प्राधिकरण द्वारा आदेश के अनुसार बरकरार रखा जाता है ।
* आपकी प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, मूल प्राधिकरण द्वारा पारित निलंबन/ प्रतिबंध के आदेश को बरकरार रखा गया है, लेकिन मूल प्राधिकरण के आदेश की तारीख से .... वर्षों/ माह के लिए निलंबन/ प्रतिबंध की अवधि में कमी की जाती है ।
* आपकी प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए, मूल प्राधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण है ।

(***) उपरोक्त में से किसी एक शामिल करें, जो भी लागू हो ।

व्यावसायिक व्यवहार पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपील प्राधिकारी की सूचना को स्पीकिंग ऑर्डर (सकारण आदेश) बनाने के लिए, यह तथ्य कि एजेंसी के प्रतिवेदन पर विचार किया गया है तथा एजेंसी द्वारा अपने बचाव में जो संदर्भ के आधार प्रस्तुत किए गए हैं और यदि एजेंसी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के रूप में व्यक्तिगत सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया हो, तो उनका इस सूचना में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाएगा । प्रतिबंध के आदेश में एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय लेने के विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ कारण भी दिए जाने चाहिए । साथ ही यह तथ्य कि यदि एजेंसी ने कोई पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं कराया गया है तो एजेंसी को अंतिम सूचना में इसको अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा । यदि एजेंसी को प्रतिबंध करने अथवा एजेंसी के प्रतिबंध की समय अवधि को कम करने के विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो उस मामलें में, उपर्युक्त आदेश में सत्यनिष्ठा संधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन को ध्यान में रखने वाले आधारों का, व्यावसायिक व्यवहार के प्रतिबंध के दिशानिर्देशों में उल्लिखित किसी आधार का, धोखाधड़ी या किसी भी अनैतिक प्रथाओं के तहत एजेंसी द्वारा चूक और/ अथवा गंभीर निहितार्थ वाले निविदा/ अनुबंध के निबंधन के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन का उल्लेख होगा ।

भवदीय,

एनएचपीसी के लिए और की ओर से